न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 75/2016/ जिला–नागौर

कल्याण सिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलांट

बनाम

1. मांगूराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता
3. पटवारी हलका बासनी सेजा, तहसील मेड़ता जिला नगौर।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 04–12–2014
अपील संख्या 267/2013 बउनवान मांगूराम बनाम तहसीलदार मेड़ता

–––––

उपस्थित– 1. श्री दिलीप सिंह अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 29–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने तहसीलदार, मेड़ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय अवैधानिक निर्णय दिनांक 4–12–2014 में अंकित कर दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त ग्राम बासनी सेजा की आराजी के खसरा नम्बर 566, 567, 568 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 है0 उत्तराधा कुल रकबा 0.40 है0 पर दर्ज है। खसरा नम्बर 568, 574 राजकीय भूमि किस्म बी–3 है। अपीलार्थी कल्याण सिंह की खातेदारी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर पर दर्ज है जबकि कब्जा काश्त खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 में से

0.28 हैक्टर पर व खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर कुल रकबा 0.49 हैक्टर पर मानकर उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित मानते हुए (माफिक तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट) मौजा बासनी सेजा के खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन, 567 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकिन, खसरा संख्या 568 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा संख्या 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर उत्तराधा कुल रकबा 0.40 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम की खातेदारी में व अपीलांट कल्याण सिंह के आराजी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.28 हैटर व खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर किस्म बी–3 कुल रकबा 0.49 हैक्टर खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे शुद्धिकरण के अपने निर्णय दिनांक 4–12–2014 द्वारा पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 18–8–2016 को अपीलांट को धमकी दी कि आराजी खसरा नम्बर 549 में से रकबा 0.21 हैक्टर उसके नाम दर्ज करने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट से हो चुका है तुम्हे सरकारी खसरा नम्बर 574 की भूमि दी गई है। खसरा नम्बर 549 में से रकबा 0.21 हैक्टर का कब्जा छोड़ना होगा। आगे की भूमि पर कब्जा ले लो। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय के निर्णय बाबत कहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 19–8–2016 को उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के न्यायालय में गया तो उक्त निर्णय की जानकारी प्रथम बार हुई। प्रार्थी ने दिनांक 19–8–2016 को निर्णय, प्रार्थना पत्र व उसको जारी सम्मन व तामील आदि दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 29–8–2016 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अभिभाषक से विधिक राय प्राप्त कर रूप्ये आदि की व्यवस्था कर 4–9–2016 को अजमेर आकर अपील तैयार करवाकर दिनांक 5–9–16 अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद

अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलांट को चस्पानगी के नोटिस तामील करवाये गये जो विधिविरूद्ध करवाये गये। तामील कुनिन्दा कभी नोटिस लेकर अपीलांट के घर पर नहीं पहुंचा। नोटिस पर आसामी बाहर गया की गई रिपोर्ट गलत की गई थी। अपीलांट को प्रकरण की जानकारी नहीं होने से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आदेशिका दिनांक 22–8–2014 में आगामी तारीख पेशी 17–10–14 नियत की गई। दिनांक 17–10–2014 के बाद आगामी तारीख पेशी 30–11–2014 नियत की गई। दिनांक 30–11–2014 को पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई। दिनांक 1–12–2014 को पेशी पर ली जाकर तामील की खानापूर्ति की जाकर पेशी दिनांक 3–12–2014को नियत की गई पर पत्रावली पेशी पर नहीं ली जाकर पत्रावली दिनांक 4–12–2014 को लोक अदालत में रखी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के आदेश की पालना में तहसीलदार, मेड़ता ने मौका रिपोर्ट दिनांक 26–10–2012 प्रस्तत की। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया था कि ''मौजा बासनी सेजा के साबिक खसरा नम्बर 97/172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को भू–प्रबन्ध विभाग के संलग्न नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नया खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 व 567 रकबा 0.09 हैक्टर देते हुए मात्र 0.10 हैक्टर गलत रूप से दर्ज कर दिया है। प्रार्थी का रकबा साबिक रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का 0.40 हैक्टर बनता है। प्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या 566, 567 व 568 पर वर्तमान में है व खसरा संख्या 566 व 567 की खातेदारी पहले से ही दर्ज है लेकिन खसरा संख्या 568 की खातेदारी सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थी की दर्ज नहीं करके सरकारी खाते में दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः खसरा संख्या 568 रकबा 0.09 हैक्टर को प्रार्थी मांगूराम की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है। खसरा संख्या 569 रकबा 0.49 हैक्टर की खातेदारी कल्याण सिंह पुत्र बाघसिंह कोम राजपूत सा0 बासनी सेजा के नाम दर्ज है इसमें से प्रार्थी ने 0.21 हैक्टर भूमि की मांग की है जो खातेदार की सहमति के बगैर दिया जाना उचित नहीं है। मौका रिपोर्ट में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कब्जा मौके पर आराजी खसरा संख्या 566, 567 व 568 पर स्पष्ट दर्शाया गया है। खसरा संख्या 569 पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य के अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा

संख्या 569 जो कि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, के उत्तराधा तरफ 0.21 हैक्टर पर कब्जा काश्त रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहींदिया कि आराजी खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में राजकीय भूमि अंकित है। अपीलांट को आराजी खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से रकबा 0.21 हैक्टर दी जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन के आदेश पारित किये गये है जिसका क्षैत्राधिकार धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दादरसी चाही वे धारा 136 के अन्तर्गत नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था। राजस्व रेकार्ड में दर्ज राजकीय भूमि को धारा 136 के तहत खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नियमित वाद के जरिये ही दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर भूमि धारा 136 के तहत नहीं दी जा सकती ।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया था। साबिक आराजी खसरा नम्बरान का रकबा किस प्रकार नये भू–प्रबन्ध के दौरान गलत दर्ज कर दिया गया यह भी सिद्ध नहीं किया गया। साबिक खसरा नम्बर 97/173 हाल आराजी खसरा संख्या 564, 565 व 570 के संबंध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया न ही इन खसरा नम्बरान के खातेदारान प्रेमसुख व रामदेव को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया।

उनका यह भी कथन कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित किया कि प्रार्थी मांगूराम के खातेदारी की जमीन जो पुराने खसरा संख्या 97/172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा संख्या 566 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा व खसरा संख्या 567 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकिन सड़ा कायम किया तथा गैर मुमकिन मगरा जो पुराने खसरा संख्या 97 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा थी उसके गलत रूप से पुनः सेटलमेंट में नये खसरा संख्या 568 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा संख्या 571 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 574 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 575 रकबा 0.08 हैक्टर गैर मुमकिन मगरा कायम किये। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा संख्या 658, 571, 574 व 575 के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र के कथनों के संबंध में कोई निर्णय पारित नहींकर भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–12–2014 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष विचाराधीन अपील जिसमें दिनांक 7–9–2017 को अपीलांट की बहस सुनकर प्रकरण को वास्ते सुरक्षित रखा गया था तथा रेस्पोन्डेन्ट को लिखित बहस प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मांगूराम पुत्र जयराम को प्रकरण में अंकित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 97 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर नियमित पुराना कब्जा होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–5–1978 को आराजी नियमन की गई तथा खसरा नम्बर 97 का रकबा बड़ा होने के कारण प्रार्थी की आराजी में बटा नम्बर 97/172 अंकित करते हुए आराजी के नक्शें में तरमीम की गई जिसके पश्चात भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने साबिक खसरा नम्बर के नये नम्बर अंकित करते हुए जिसमें खसरा नम्बर 97/172 के नये खसरा नम्बर 567 रकबा 0.09 हैक्टर एवं 566 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.10 हैक्टर प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी जबकि प्रार्थी की भूमि 0.40 हैक्टर होनी चाहिए। मौके पर आराजी अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों के सही होना स्पष्ट है केवल रेकार्ड में ही भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने गलती की है और शेष रकबे को भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने खसरा नम्बर 559 में दर्शा दिया और खसरा नम्बर 568 में दर्शा दिया। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल व सहवन से राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त आराजियात को गलत दर्शाया है जबकि कल्याण सिंह की खातेदारी में खसरा नम्बर 569 रकबा 0.049 हैक्टर के स्थान पर 0.28 हैक्टर पर ही कब्जा काश्त है तथा कल्याणसिंह सरकारी खसरा नक्बर 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से रकबा 0.21 हैक्टर पर काबिज काश्त है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी ने संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर ग्राम बासनी सेजा के खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर कुल रकबा 0.40 हैक्टर प्रार्थी मांगूराम पुत्र जयराम जाति जाट की खातेदारी में व अपीलांट कल्याण सिंह पुत्र बाघसिंह के खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 28 हैक्टर व खसरा नम्बर 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर कुल रकबा 0.49 हैक्टर कल्याण सिंह के खातेदारी में दर्ज करने बाबत शुद्धिकरण के आदेश प्रदान किये जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है क्योंकि राजस्व रेकार्ड में जो रकबा मांगूराम एवं कल्याण सिहं के दर्ज होना चाहिए वो करते हुए रेकार्ड को शुद्ध किया है जिसमें किसी भी पक्षकार की जमीन कम ज्यादा नहीं हुई है एव ंना ही मौके पर किसी तरह का कोई कब्जा आपस में विनिमय करना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है।

उन्होंने लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया कि कल्याण सिंह खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर पर ही काबिज काश्त है तथा वह सरकारी खसरा नम्बर 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर पर काबिज है इस प्रकार खसरा नम्बर 569 रकबा 0.28 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 574 रकबा 0.21 हैक्टर अर्थात कुल मिलाकर कल्याण सिंह के खाते में 0.49 हैक्टर भूमि अंकित कर दी है जहां पर कल्याण सिंह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कल्याण सिंह को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद भी अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोन्डेन्ट की कुल आराजी 0.40 हैक्टर है जिसमें से खसरा नम्बर 565 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 567 रकबा 0.09 हैक्टर अर्थात कुल 0.10 हैक्टर भूमि अंकित कर दी गई जो भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा सहवन से की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट का रकबा बराबर करने हेतु खसरा नम्बर 568 जो कि सरकारी भूमि है उसमें से 0.09 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट को दी है तथा खसरा नम्बर 574 जो सरकारी भूमि है उसमें से 0.21 हैक्टर भूमि कल्याण सिंह को देकर उसकी जो आराजी 0.21 हैक्टर प्रार्थी के खाते में अंकित की गई उसकी बराबरी उक्त खसरा नम्बर से की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट किसी भी रूप से हित प्रभावित नहीं होते है क्योकि खसरा नम्बर 569 में से जो आराजी 0.21 हैक्टर मांगूराम को दी गई है उतनी ही आराजी 0.21 हैक्टर सरकारी आराजी खसरा नम्बर 574 में से दी गई है। इस प्रकार दोनों पक्षकारों को अर्थात रेस्पोन्डेन्ट को 0.40 हैक्टर भूमि अंकित कर साबिक रेकार्ड के आधार पर शुद्धिकरण किया गया जिससे कल्याण सिंह को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट को उनकी कब्जेशुदा आराजी को दुरूस्त किया है और कल्याण सिंह की आराजी जो सरकारी थी उसको दुरूस्त कर उसके खाते में अंकित की है।

उन्होंने लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधित प्रावधान के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व द्वितीय संशोधन अधिनियम 1955 जो कि दिनांक 22–11–1995 से लागू हुआ है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध कर्मचारियो/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड़ में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चरागाह या उसके विपरीत सिवायचक/चरागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था जिसके परिणाम स्परूप बड़ी संख्या में अनियमितता होने के कारण उक्त संशोधन के आधार पर धारा 122 को संशोधित किया गया एवं धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया एवं धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया और इस प्रकार भू–प्रबन्ध की कार्यवाही बन्द होने के पश्चात जो मामले भू–प्रबन्ध के बाद शेष रह जाते है वह भू–अभिलेख अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को हस्तांतरित किये जाते है। इस प्रकार सिवायचक राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज कर दिया गया तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी के द्वारा दुरूस्त किया जा सकेगा। जैसा कि आर.आर.टी. 2013 वोल्यूम 1 पेज 391 और आर.आर.टी 2015 वोल्यूम 1 पेज 452 एवं आर.आर.टी 2014–15 सप्ली. पेज

554 में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 136 में यह अंकन दुरूस्त योग्य है जो सेटलमेंट ने अपनी कार्यवाही में सेटलमेंट के पूर्व के इन्द्राज को दोहराया नहीं उन्हें विलोपित करने या संशोधित करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। इस प्रकार के इन्द्राज को अधिनस्थ न्यायालय ने जिस तरह दुरूस्त किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–12–2014 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के तहत किये गये गलत इन्द्राज को लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को सही करने का अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर सिवायचक भूमि में से ही ग्राम बासनी सेजा का खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 हैक्टर गै0मु0, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.09 हैक्टर गे0मु0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर उत्तराधा कुल रकबा 0.40 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बासनी सेजा की खातेदारी में व अपीलांट कल्याण सिंह पुत्र बाघसिंह राजपूत निवासी बासनी सेजा के खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर व खसरा नम्बर 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर किस्म बारानी–3 कुल रकबा 0.40 हैक्टर खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एंव तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–12–2014 अन्तर्गत अपील संख्या 267/2013 बउनवान मांगूराम बनाम तहसीलदार मेड़ता यथावत कायम रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर